संख्या-2- 04/ 77-3-16-522(एम)/ 2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 04 फरवरी, 2016**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" के लिए निर्माणकर्ताओं को रनिंग/ स्टेज भुगतान हेतु 500.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त् किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-2063 / यूपीडा/ 08/ 147, दिनांक 29.12.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में "आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" के लिये यूपीडा हेतु प्राविधानित धनराशि में से निर्माणकर्ताओं को रंनिंग/ स्टेज भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 500.00 करोड़ (रूपये पांच सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)यूपीडा कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता अपने स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(2)आर0एफ0पी0 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण करते हुए धनराशि की देयता का आंकलन करने का दायित्व यूपीडा का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उपरोक्त बिन्दु-2 के अनुसार धनराशि देय होने तथा तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरण किया जायेगा और धनराशि आहरित कर सीधे संबंधित संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) किसी भी परिस्थिति में पूर्व से धनराशि का आहरण करके यूपीडा के पी0एल0ए0 खाते/ बैंक खाते/ अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5) विकासकर्ताओं को रनिंग/ स्टेज भुगतान हेतु निविदा प्रपत्र एवं अनुबन्ध में दी गयी शर्तो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) व्यय की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यूपीडा द्वारा यथा समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(7) धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/ दस-2014-231/ 2014, दिनांक 22.07.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि 500.00 करोड़ (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना-24 बृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/ 2015/ बी-1-925/ दस-2015-231/ 2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-04(1)/ 77-3-16-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4.निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।

6.वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4 ।

7.गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in